

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 14/2025	नंबर/तारीख जो इस हुकम की तामिल में जांसी हुए
18-5-2026	<p>पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल अजय पुत्र श्री लालचन्द, जाति- भील, निवासी- गांधीनगर, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला- सिरौही उपस्थित। गैरसायल को आरोप सुनाय गये। गैरसायल ने अनुरोध किया कि वह वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं है व मजदूरी करके जीवन यापन करता है, इसलिये प्रकरण का लोक अदालत की भावना से आज ही निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल अजय पुत्र श्री लालचन्द, जाति- भील, निवासी- गांधीनगर, आबूरोड़, जिला- सिरौही के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड़ शहर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 119 दिनांक 23-4-2025 व अपराध संख्या 124 दिनांक 26-4-2025 को दर्ज हुये। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत दर्ज उक्त मुकदमों में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 03-5-2025 व 06-5-2025 के द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त दोनों अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उक्त अपराध संख्या 119 दिनांक 23-4-2025 व 124 दिनांक 26-4-2025 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 03-5-2025 व 06-5-2025 की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि गैरसायल, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि गैरसायल जुआ संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 26-4-2025 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।</p> <p>अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल अजय पुत्र श्री लालचन्द, जाति- भील, निवासी- गांधीनगर, आबूरोड़, जिला- सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 01 (एक) माह की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर से निष्कासित किया जाता है। उक्त निष्कासन अवधि, दिनांक 19-5-2026 से एक माह तक रहेगी। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थित नहीं देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में प्रत्येक सोमवार को पुलिस थाना, रेवदर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर / रेवदर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ. राजेश गोयल) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही</p>	<p style="text-align: right;">अजय गोयल</p>

